HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15812/2026
CNR: RJHC020975252026 | URN: CRLMB / 29282U / 2026

1. Kamlesh S/o Mahaveer, Aged About 30 Years, R/o Village Ratanpura, Police Station Lamba Harisingh, District Tonk. At Present Tenant Kids Club School Ke Pass, Sumer Nagar Vistar, Police Station Narayanvihar, Jaipur. (Presently Petitioner Confined In Central Jail At Jaipur).
2. Suresh @ Syoji S/o Devkaran, Aged About 32 Years, R/o Ward No. 09, Geji, Police Station Dudu, District Jaipur (Rural), At Present Jat Farm House, Chaudhary Chay Wale Ke Pass, Police Station Patarkar Colony, Jaipur. (Presently Petitioner Confined In Central Jail At Jaipur).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narsi Prasad Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/11/2026

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना श्यामनगर, जिला–जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 409/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 308(2), 140(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में प्रार्थीगण, परिवादी राजवीर से उधार दी गई राशि को वापिस मांगते थे, जिससे बचने के

लिए यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उनका तर्क है कि परिवादी को जो चोटें कारित होना बताया गया है, वे सभी साधारण प्रकृति की हैं और अधिकांश चोटें खंरोचनुमा है। प्रार्थीगण दिनांक 23.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण ने अन्य के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से परिवादी को फोन करके मिलने बुलाया और पैसे के लिए उसके साथ मारपीट की, जिससे परिवादी के शरीर पर 17 चोटें कारित हुई हैं। प्रार्थी कमलेश के विरूद्ध पूर्व का 01 व प्रार्थी सुरेश के विरूद्ध पूर्व के 03 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन में प्रार्थीगण से उधार राशि लेना और उनके साथ पैसों के लेन–देन का विवाद होना बताया है। परिवादी के शरीर पर जो चोटें कारित होना बताया गया है, वे सभी साधारण प्रकृति की होकर अधिकांश खरोंचनुमा चोटें हैं तथा उनमें से 07 चोटें हाथ/बाजू पर कारित हुई हैं। प्रार्थीगण दिनांक 23.08.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं

पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/42/VISHAL SHARMA